

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)



Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/08/26/2017/एफ.सी./ 595

दिनोंक : /५-11-12

सेवा में

शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No. FP/RAJ/Water/26264/2017

विषयः Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay Station Harizan Basti OHSR, Ajmer District.

सन्दर्भः शासन सचिव, वन विमाग, राजस्थान का पत्रांक- प01(58)वन/2017, दिनांक-25.10.2017

महोदय.

विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसकें द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मोंगी गयी है ।

प्रस्ताव पर विचारोपसन्त मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें-

 The kml files for forest land proposed to be diverted and proposed land for Compensatory Afforestation (CA) have not been submitted with hard copy of proposal. Same need submission.

2. Sol Toposheets of forest land proposed to be diverted, proposed land for CA (in original; 1:50,000

scale) need submission.

Violation of FC Act, 1980 has been reported in the proposal for which a provision of penal CA is to be imposed. In this regard, scheme of penal CA (10 times of extent of violation i.e. 0.0225X10= 0.225ha) alongwith .kml file and toposheet shall be submitted.

Details of action taken on the violation alongwith copy of FIR & copy of offence report must be submitted. The proposal for diversion has been initiated after prolonged delay for which explanation

must be furnished by the State Government.

भवदीय,

(केo केo तिवारी) वन संरक्षक (केo)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

2. उप वन संरक्षक, अजमेर, राजस्थान।

अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा० अभियांत्रिक विभाग, नगर खण्ड प्रथम, अजमेर, राजस्थान।

अधिकारी, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

आदेश पत्रावली।

(के0 के0 तिवारी) वन संरक्षक (के0)